3/यो0स०क०-17/2023 112

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2025-26)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
संयुक्त सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -14.8.2025

विषय:- **वितीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य योजना (सामान्य घटक) मद में रू० 500.00 लाख (पॉच करोड) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के भिक्षुकों के सर्वे, प्रमाणीकरण, कौशल विकास एवं बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना संचालित है। वितीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना के संचालन हेतु राज्य योजना मद में **रू० 1000.00 लाख** (दस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-65 दिनांक-24.04.2025 के द्वारा प्रदान की गई है। अतिरिक्त राशि की आवश्यक्ता के आलोक में प्रथम अनुपूरक से प्राप्त **राज्य योजना (सामान्य घटक) मद में कुल- रू० 500.00 लाख (पॉच करोड)** मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रू. लाख में)

क्र0	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	पूर्व में स्वीकृत राशि	अतिरिक्त स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1	मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना	(51-2235021040107)	0107.31.06	1000.00	500.00
कुल (रू० पॉच करोड़)				1000.00	**500.00**

2. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वितीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के पत्रांक -12888/वि0 दिनांक-03.12.2024, पत्रांक-227/वि० दिनांक 28.03.2025, पत्रांक-235/वि0 दिनांक 01.04.2025 पत्रांक- 600/वि. दिनांक 06.08.2025 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-17/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-**18/टि0** पर दिनांक-**08.08.2025** को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-17/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-**19/टि0** पर दिनांक-**13.08.2025** को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

13/8/25

(योगेश कुमार सागर)
संयुक्त सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-17/2023 112 /......................./दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/8/25
संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-17/2023 112 /......................./दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/8/25
संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-17/2023 112 /......................./दिनांक- 14.8.2025

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/8/25
संयुक्त सचिव,